आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
13/01/2022	**न्यायालय, आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची**	

एस0 आर0 पुनरीक्षण 17/2014

अगनु पाहन बनाम मोहम्मद मुर्शीद एवं अन्य

आदेश

प्रश्नगत पुनरीक्षण आवेदन अपर समाहर्ता, राँची में अपील जाँच संख्या–42/R-15/12-13 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया था। प्रश्नगत् वाद में मौजा–रातु के खाता संख्या–138 में अवस्थित विभिन्न प्लॉट कुल रकबा–10.38 डिसमिल की भूमि सम्मिलित है।

आवेदक का दावा है कि प्रश्नगत् भूमि रिविजनल सर्वे में झूमू पाहन, गुड़िया पाहन, माया पाहन व अगनू पाहन के नाम से दर्ज है, जिसे विपक्षियों द्वारा अवैध तरीके से दखल किया गया था। उक्त भूमि की वापसी हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में भूमि वापस वाद दायर किया गया, जिनके द्वारा भूमि वापसी हेतु आदेश पारित किया गया। अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त आदेश को रद्द किया गया, जिसके विरूद्ध यह पुनरीक्षण आवेदन दायर किया गया है।

प्रश्नगत् आदेश दिनांक–24.01.2014 को पारित किया गया था तथा यह आवेदन दिनांक–21.04.2014 को दायर किया गया। वाद दायर करने के पश्चात् प्रथम सुनवाई के समय अपीलार्थी पर अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। दिनांक–01.12.2015 को आवेदक क्रमांक–01 अगनु पाहन के मृत्यु की सूचना दी गयी, तथा उन्हें प्रतिस्थापित करने हेतु आवेदकों को निदेशित किया गया। किन्तु आवेदकों की तरफ से कोई प्रतिस्थापन आवेदन नहीं दिया गया। इसके पश्चात् दिनांक–10.10.2017 को आवेदकों की तरफ से अंतिम बार हाजिरी दी गयी। जिसके पश्चात् आवेदक लगातार न्यायालय से अनुपस्थित है। अंततः उपलब्ध कागजातों के आधार पर वाद को निष्पादित करने का निर्णय लिया गया।

अपर समाहर्ता, राँची द्वारा पारित आदेश का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि विपक्षियों के द्वारा न्यायालय के आदेश से निलामी में वाद संख्या–743/40–41 से प्राप्त की गयी थी। तथा न्यायालय के आदेश के माध्यम से विपक्षियों द्वारा इसे क्रय किया गया। 1959 में इन खरीददारों के बीच भूमि का आपसी बंटवारा भी किया गया।

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	

तत्पश्चात् 1981 में निबंधित केवाला माध्यम से भूमि को अन्य क्रेताओं को हस्तांतरित किया गया। स्पष्टतः न्यायालय आदेश के पश्चात् नीलामी से प्राप्त भूमि को अवैध हस्तांतरण की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इसी आधार पर अपर समाहर्ता द्वारा भूमि वापसी के आदेश को खारिज किया गया। इस न्यायालय में दायर पुनरीक्षण आवेदन में आवेदक के तरफ से कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। आवेदक लगातार न्यायालय में अनुपस्थित है, जिस कारण अभी तक यह वाद अंगीकृत नहीं किया जा सका है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त।

आयुक्त।

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.07.22 17:07:05 +05:30
Location: 192.168.1.40